**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 969**

**बुधवार 29 जुलाई, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**ई-कॉमर्स के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों का सरलीकरण**

**अता.प्र.सं. 969. श्री हरिवंशः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार ई-कॉमर्स के अंतर्गत एफडीआई के नियमों को सरल बनाना चाहती है;

(ख) क्या ई-कॉमर्स के बढ़ते व्यापार से छोटे कारोबारियों को नुकसान हो रहा है; और (ग) ई-कॉमर्स से सरकार को कुल कितना राजस्व हासिल हो रहा है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क): वर्तमान में, ई-वाणिज्‍य क्षेत्र की मौजूदा प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश नीति की समीक्षा संबंधी ऐसा कोई प्रस्‍ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख): इस संबंध में सरकार द्वारा कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग): ई-वाणिज्‍य सहित विभिन्‍न प्रकार के व्‍यवसायों के प्रत्‍यक्ष कर संग्रह के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

\*\*\*\*\*